[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

[सं.12 /2026-सीमाशुल्क (एन.टी.)]

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2026

सा.का.नि....(अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 47 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 1038(अ), तारीख 2 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 135/2016-सीमाशुल्क(एन.टी.), तारीख 2 नवंबर, 2016 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) क्रम संख्यांक (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) पात्र विनिर्माता आयातकर्ता:

परंतु पात्र विनिर्माता आयातकर्ता के वर्ग 31 मार्च, 2028 तक आयात शुल्क का आस्थगित भुगतान करने के लिए अनुज्ञात किए जाएंगे ।";

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(iii) पात्र विनिर्माता आयातकर्ता से विनिर्माता आयातकर्ता अभिप्रेत है ,"

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी ।

[फा.स. 450/04/2026-सीमा.IV]

(अनुरिमा शर्मा)

निदेशक (सीमाशुल्क)

टिप्पण:- मूल अधिसूचना सं. 135/2016 सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 2 नवंबर, 2016 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 1038 (अ), तारीख 2 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्यांक 78/2020-सीमाशुल्क (एन.टी.), तारीख 19 अगस्त, 2020, संख्यांक सा.का.नि. 513 (अ), तारीख 19 अगस्त, 2020 द्वारा अतिम बार संशोधित की गई थी ।